

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

25-9-25 वादी की ओर से प्रार्थना - फर अन्तर्गत
शोध 23 नियम 3 सपहित धारा 151 C.P.C.
वास्ते पत्रावली को आज ही तलब कर विज्ञो
करने वाकत पेश करने पर पत्रावली तलब

वांटे के
Sur Smelling
25/9/25



From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

चांद मोहम्मद

बनाम

जमाल मोहम्मद

केसम मुकदमा :- 53,18,88-T-Act

नंबर 34 वर्ष 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>की गठी। वादी स्वयं उपस्थित, जिसकी पहचान वकील वादी द्वारा की गठी प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से वापसी माहो गया है, जिससे कि उक्त प्रकरण में अब कोर्ट भी अनुतोष दोष नहीं रहा है।</p> <p>वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वादी व वकील वादी को सुना गया। तदनुसार वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद जारी विंडोल खावेज किया जाता है।</p> <p>परावली फेंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)